न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद, पलामू।

अनुसूची 14 फारम संख्या 562 — अब्दुल हफिज अंसारी .... अपीलार्थी

आदेश पत्रक — *बनाम्*

मो0 एजाज अंसारी .... प्रतिवादी

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता0 .... से .... तक जिला पलामू।

नामान्तरण अपील वाद संख्या........12..............सन् 2020

आदेश की की क्र.सं. और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.12.20	अपीलार्थी अब्दुल हफिज अंसारी वल्द स्व0 मोहम्मद सुलेमान अंसारी ग्राम+पो0- कोसीआरा, थाना- ~~मोहम्मदगंज~~ हैदरनगर, जिला पलामू की ओर से अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज के द्वारा Online नामान्तरण वाद संख्या 441/2018-19 में पारीत आदेश दिनांक 09.01.2019 के विरुद्ध अपील दायर किया गया है तथा अपील आवेदन के साथ समय सीमा के बिलम्ब अवधी को क्षान्त करने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के सुना एवं अपील आवेदन का अवलोकन किया। समय सीमा के विलम्ब अवधी को क्षान्त करते हुए अपील आवेदन को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया जाता है। प्रतिवादी को सूचना निर्गत करें एवं अभीलेख की मांग करें तथा सुनवाई हेतु दिनांक 08.01.2021 को रखे। [signature] भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद, पलामू।	P.N-114 09.5.23 [signature] 09.5.23
08.01.21	अभिलेख उपलब्ध। अपीलार्थी की ओर से वकालतनामा दाखिल। प्रतिपक्षी अनुपस्थित।	

ह० 15.01.21

2. R-D...

आदेश की क्र0 सं0	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
27.10.21	अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी - [illegible] प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा दाखिल। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ~~को सुना~~ का कथन है कि प्रतिवादी का Deed No और नामांतरण ~~आदि~~ में अंकित Deed No भिन्न है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रतिवादी के द्वारा गलत नामांतरण होने के कारण रकबा घट जा रहा है इसलिए उनका नामांतरण नहीं हो पा रहा है। आदेशार्थ [signature] 27/X/21	

न्यायालय - भूमि सुधार उप समाहर्ता, हुसैनाबाद (पलामू)

1/3

नामांतरण अपील वाद संख्या – 12/2020

अब्दुल हफिज अंसारी बनाम मो० एजाज अंसारी

Date of order of Proceding	Order With Signature of The Court	Office Action take with Date
1	2	3

आदेश

27-10-2021

अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, मोहम्मदगंज के द्वारा ऑनलाइन नामांतरण वाद संख्या 441/2018-19 में दिनांक 09-01-2019 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपीलवाद दायर किया गया है | वाद से सम्बंधित भूमि का विवरण:- मौजा – तारा, थाना नंबर - 535 अंचल - मोहम्मदगंज

खाता नंबर	प्लाट नंबर	रकबा (डिसिमिल में)
123	840	08
123	841	08

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, अपील आवेदन का अवलोकन किया | प्रतिवादी द्वारा बताया गया कि वो लिखित प्रतिउत्तर नहीं देकर, सीधे मौखिक रूप से प्रतिकार करेंगे | अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज का नामांतरण वाद संख्या 441/2018-19 की समर्पित प्रतिलिपि अभिलेख का अवलोकन किया |

अपीलार्थी का कथन है कि मौजा तारा के खाता नंबर 32 प्लॉट नंबर 626 रकबा 13 ¾ डिसमिल भूमि मोहम्मद हबीब अंसारी ने निबंधित विक्रय पत्र संख्या 1185 के द्वारा राम केश्वर यादव से खरीदा था और खरीदने के बाद उनका शांति पूर्वक ढंग से दखल कब्जा एवं स्वामित्व कायम हुआ | उक्त भूमि को अपीलार्थी अब्दुल हफीज अंसारी ने निबंधित विक्रय पत्र संख्या 1116 दिनांक 18-06-2004 को मोहम्मद हबीब अंसारी से खरीदा और खरीदने के बाद उनका शांतिपूर्वक दखल कब्जा एवं स्वामित्व कायम हुआ | अपीलार्थी ने उक्त खरीदगी भूमि का नामांतरण के लिए अंचल अधिकारी के यहां आवेदन दिया और आवेदन के आलोक में नामांतरण स्वीकृत होकर सरकारी रसीद अब्दुल हफीज अंसारी के नाम से निर्गत हुआ |

हाल सर्वे में पुराना खाता नंबर 32 का नया खाता नंबर 123 और पुराना प्लॉट नंबर 626 का नया प्लॉट नंबर 840 बना जिस पर अपीलार्थी का दखल कब्जा एवं स्वामित्व है | ग्राम तारा के नया खाता नंबर 123, नया प्लॉट नंबर 840, रकबा 13 ¾ डिसमिल भूमि पर अपीलार्थी का मकान एवं दुकान है एवं शांतिपूर्वक दखल कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है | अपीलार्थी के भूमि से प्रतिपक्षी का कोई संबंध और सरोकार नहीं है| अपीलार्थी ने अपनी भूमि का ऑनलाइन नामांतरण के लिए आवेदन दिया तो प्लॉट नंबर 840 में रकबा 4 डिसमिल भूमि रहने के कारण उनका नामांतरण नहीं हो सका |

अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज के द्वारा नामांतरण वाद संख्या 441 /2018-19 में दिनांक 09-01-019 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध यह अपील दाखिल करते हुए निम्न आधारों पर उसे खारिज करने का निवेदन किया गया है :-

- अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज के द्वारा पारित किया गया आदेश नियम एवं तथ्यों के विरुद्ध है | हलका कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने स्थल पर जाकर जांच नहीं किया है | उक्के द्वारा प्रतिपक्षी के मेल में आकर रिपोर्ट समर्पित किया गया है |
- प्रतिपक्षी ने मौजा तारा के खाता नंबर 32 प्लॉट नंबर 626 रकबा 16 डिसमिल भूमि को निबंधित विक्रय पत्र संख्या 1014 दिनांक 27-05-1999 को श्रीमती शैला देवी से खरीदा है, और खरीदगी के बाद प्रतिपक्षी का भी नामांतरण होने के पश्चात रशीद निर्गत हुआ है |
- प्रतिपक्षी के द्वारा अपने प्रज्ञा केंद्र से दाखिल खारिज आवेदन ऑनलाइन किया गया है | प्रथम दाखिल खारिज के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किया है उसका केस नंबर 441/2018-19 एवं द्वितीय दाखिल खारिज के लिए केस नंबर 106/2019-20 है |

एक ही दस्तावेज संख्या 1014 दिनांक 27-05-1999 के नामांतरण के लिए दो बार ऑनलाइन आवेदन किया गया। द्वितीय दाखिल खारिज केस नंबर 106/2019-20 में दिनांक बदलने के कारण रकबा 0.16 एकड़ का पुनः दाखिल खारिज हुआ है, वह गलत है।

- प्रतिपक्षी के द्वारा दाखिल खारिज के संख्या 441/2018-19 में विक्रय पत्र संख्या 101401014 एवं दिनांक 27-05-1999 दिया गया है, तथा दाखिल खारिज केस नंबर 106/2019-20 में विक्रय पत्र संख्या 1014 दिनांक 31-07-2019 दिया गया है।

  प्रतिपक्ष के द्वारा,एक ही भूमि का विक्रय पत्र की तिथि एवं विक्रय पत्र संख्या दो बार बदलकर, दो बार ऑनलाइन आवेदन देकर, दो बार नामांतरण कराया गया है, जो पूर्णतः गलत है। प्रतिपक्षी के द्वारा दस्तावेजों की कूट रचना कर न्याय विरोधी कार्य किया गया है।
- इसके लिए प्रतिपक्षी के विरुद्ध हैदरनगर थाना कांड संख्या 18/2020 दिनांक 05-02-2020 धारा 420, 467, 384, 504, 506, 120(बी), भा0 दं0 वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। उक्त कांड में प्रतिपक्षी जेल भी गए हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय रांची से उनको बेल मिला है।
- अनुसंधान के क्रम में थाना प्रभारी हैदरनगर के द्वारा अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई जिसमें अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज में थाना प्रभारी हैदरनगर को पत्रांक 147 दिनांक 16-06- 2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :-

  (i) हाफिज अंसारी हाल सर्वे खाता नंबर 123 प्लॉट नंबर 840 पर घर एवं दुकान बनाकर काबीज है। प्रतिपक्षी मो0 एजाज अंसारी एवं मो0 इलयास अंसारी का हाल सर्वे खाता नंबर 123 प्लॉट नंबर 841 पर घर एवं दुकान है।

  (ii) अभियुक्त पक्ष के द्वारा अपने ही प्रज्ञा केंद्र से दाखिल खारिज के लिए आवेदन ऑनलाइन किया गया है। प्रथम दाखिल खारिज केस नंबर 441/2018-19 है तथा दूसरा दाखिल खारिज केस नंबर 106/2019-20 है। जांच के क्रम में पाया गया है कि एक ही दस्तावेज संख्या 1014 दिनांक 27-05-1999 को दो बार आवेदन ऑनलाइन किया गया है। द्वितीय दाखिल खारिज केस नंबर 106/2019-20 में दिनांक 31-07-2019 बदलने के कारण रकबा 0.16 एकड़ का पुनः दाखिल खारिज हो गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वो लिखित प्रतिउत्तर नहीं देकर, सीधे मौखिक रूप से प्रतिकार करेंगे। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उन्होंने जो भूमि मौजा तारा के खाता नंबर 32 प्लॉट नंबर 626 रकबा 13 ¾ डिसमिल खरीदी है और जिसका नया खाता नंबर 123, नया प्लॉट नंबर 840, रकबा 13 ¾ है, उससे प्रतिपक्षी का कोई सरोकार नहीं है। प्रतिपक्षी ने मौजा तारा के खाता नंबर 32 प्लॉट नंबर 626 रकबा 16 डिसमिल भूमि को निबंधित विक्रय पत्र संख्या 1014 दिनांक 27-05-1999 को श्रीमती शैला देवी से खरीदा है। परन्तु प्रतिपक्षी के द्वारा गलत सूचना भरते हुए उनके द्वारा क्रय की गई भूमि का नामांतरण वाद संख्या 441/2018-19 के द्वारा दाखिल खारिज करवा लिया जिसपर अपीलार्थी का दखल कब्जा एवं स्वामित्व है। तथा उस भूमि पर अपीलार्थी का मकान एवं दुकान है एवं शांतिपूर्वक दखल कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है। इस तथ्य की पुष्टि अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज के जांच प्रतिवेदन के पत्रांक 147 दिनांक 16-06- 2020 के द्वारा भी होता है जिसमे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हाफिज अंसारी हाल सर्वे खाता नंबर 123 प्लॉट नंबर 840 पर घर एवं दुकान बनाकर काबीज है। प्रतिपक्षी मो0 एजाज अंसारी एवं मो0 इलयास अंसारी का हाल सर्वे खाता नंबर 123 प्लॉट नंबर 841 पर घर एवं दुकान है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस प्रकार साबित होता है कि प्रतिपक्षी ने फर्जी तरीके से अपीलार्थी द्वारा खरीद की गई और अपीलार्थी के कब्जे की भूमि को जिस पर अपीलार्थी का दुकान मकान बना हुआ है, अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिया है। अतः नामांतरण वाद संख्या 441/2018-19 द्वारा किए गए नामांतरण आदेश को रद्द किया जाए।

313

प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया कि TYPING ERROR के कारण गलत डाटा भरा गया जिससे यह नामांतरण स्वीकृत हो गया। परन्तु उनके द्वारा जो भूमि शैल देवी से खरीदी गई है उस से अपीलार्थी का कोई सरोकार नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी के द्वारा नामांतरण अपील वाद संख्या 441/2018-19 के ONLINE आवेदन में गलत डाटा भर कर, उस भूमि का नामांतरण करवा लिया गया जिस भूमि से उनको कोई सरोकार नहीं है और जिस पर उनका दखल कब्जा नहीं है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा भी, दखल कब्ज़ा के बिंदु का भौतिक सत्यापन किए बगैर, नामांतरण किए जाने की अनुशंसा कर दी गई, जिससे यह गलत नामांतरण आदेश पारित हो गया। प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी आवेदन में हुई त्रुटी को स्वीकार किया गया है।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज के द्वारा नामांतरण अपील वाद संख्या 441/2018-19 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी मोहम्मदगंज को निर्देश दिया जाता है कि तत्कालीन राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जो त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन दिया गया है उसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मोहम्मदगंज को अग्रेत्तर कार्यवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

27/x/21

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू)।

27/x/21

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
हुसैनाबाद (पलामू)।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2024.07.13 14:10:40 +05:30
Location: 192.168.31.45